भारत सरकार

**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

GOVERNMENT OF INDIA

**NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES**

File No. MKV/9/2017/MHRD2/DEOTH/RU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन,
खान मार्केट नई दिल्ली.110003
दिनांक: **06.09.2018**

सेवा में

1. कुलसचिव,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली–110007

2. कार्यपालक निदेशक,
मुक्त शिक्षा विद्यालय,
05 केवलरी लेन,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली–110007

3. सचिव,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली–110002

**विषयः कर्मचारियों की लंबित मांगों से संबंधित श्री महेंद्र कुमार वर्मा, संयोजक, मुक्त विद्यालय (एसओएल) कर्मचारी यूनियन, दिल्ली विश्वविद्यालय के अभ्यावेदन पर डॉ. नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत्त।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर डॉ. नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 01.08.2018 को आयोग में ली गई बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को **01 माह** के अदंर भिजवाने का कष्ट करें ।

भवदीय

(आर.के. दुबे)
सहायक निदेशक

**प्रतिलिपि प्रेषितः**

1. श्री महेंद्र कुमार वर्मा, संयोजक, मुक्त विद्यालय (एसओएल) कर्मचारी यूनियन, दिल्ली विश्वविद्यालय, मुक्त शिक्षा विद्यालय, 05 केवलरी लेन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110007
2. एसएसए एनआईसी वेबसाइट पर उपलोड करने के लिए।

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

**File No. MKV/9/2017/MHRD2/DEOTH/RU-III**

**विषयः कर्मचारियों की लंबित मांगों से संबंधित श्री महेंद्र कुमार वर्मा, संयोजक, मुक्त विद्यालय (एसओएल) कर्मचारी यूनियन, दिल्ली विश्वविद्यालय के अभ्यावेदन पर डॉ. नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत्त।**

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची : संलग्नक 'क'

बैठक की तिथि : 01.08.2018

उपरोक्त विषय पर आयोग में पूर्व में दिनांक 23.01.2018 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ली गई बैठक में चर्चा हुई थी परंतु अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा नहीं सुलझाया गया है। अतः मामले पर दोबारा बैठक लिए जाने की आवश्यकता महसूस की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01.08.2018 को इस मामले पर चर्चा हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हुए अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया जिसमें आवेदक श्री महेंद्र कुमार वर्मा, संयोजक, मुक्त विद्यालय कर्मचारी यूनियन, दिल्ली विश्वविद्यालय भी चर्चा में शामिल हुए।

आयोग ने सबसे पहले आवेदक श्री महेंद्र कुमार वर्मा को अपना पक्ष रखने के लिए कहा जिन्होंने आयोग को बताया कि वर्ष 2007 में सहायक कुलसचिव के अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पद को भरने के लिए एस.ओ.एल में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी गई और उस पद को नियम विरुद्ध तरीके से सामान्य वर्ग से भर दिया गया।

आयोग ने बैठक में उपस्थित एस.ओ.एल के अधिकारी से इस पर जानकारी देने को कहा कि क्या उनके पास खुली भर्ती द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यार्थी से आवेदन लेने का कोई आदेश था। एस.ओ.एल. से आए अधिकारी ने आयोग को बताया कि यह प्रक्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय की स्वीकृति से की गई थी जिसमें वर्ष 2013 में ओपन मार्केट से अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को चयनित नहीं किया गया है।

आवेदक ने आयोग को यह भी बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय से बार–बार अनुरोध करने पर भी रोस्टर नहीं दिया गया है। रोस्टर की कमियां दूर करने के लिए आयोग की बैठक दिनांक 23.01.2018 में भी चर्चा हुई थी। इसके बाद भी एसओएल/दिल्ली विश्वविद्यालय अभी तक रोस्टर की कमियां दूर नहीं कर पाए हैं। आयोग ने एस.ओ.एल. के अधिकारी से यह जानना चाहा कि क्या उन्होंने रोस्टर का पूरा प्रकरण देखा है और क्या आगे कोई कार्रवाई की है?

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

एसओएल की तरफ से आयोग को बताया गया कि जिन 419 पदों को भरने की पिछली बैठक में भी चर्चा हुई थी, उन पदों को भरने के लिए उन्हें यूजीसी से अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। आयोग ने एसओएल से यह भी जानना चाहा कि इस मामले का आगे क्या निराकरण होना चाहिए, यह बताया जाए। क्या इस बीच तदर्थ पदोन्नतियां की जा सकती हैं? एसओएल की तरफ से आयोग को बताया कि सबसे पहले 419 पदों को भरने की स्वीकृति 15 दिन के अंदर यूजीसी से मिलनी चाहिए तभी उनके द्वारा मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है। तदर्थ पदोन्नतियों हेतु गवर्निंग बॉड़ी की स्वीकृति आवश्यक होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय एवं एसओएल प्रशासन ने आयोग के समक्ष इस बात पर सहमति व्यक्त की कि अनुसूचित जनजाति के अनुभाग अधिकारी को तत्काल 10 प्रतिशत राशि ऑफिसिएटिंग कार्यभार के रूप में स्वीकृत की जाएगी।

इस प्रकरण पर विस्तार से चर्चा के बाद आयोग निम्नानुसार अनुशंसाएं करता है:–

1. अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों सहित अधिकारियों/कर्मचारियों की तदर्थ (Adhoc) पदोन्नति के मामले पर विचार करने हेतु एसओएल 01 माह के भीतर अनुसूचित जनजाति के अनुभाग अधिकारी को सहायक कुल सचिव के रूप में पदोन्नति हेतु अपनी गवर्निंग बॉडी से स्वीकृति लेकर पदोन्नति प्रदान करने की कार्रवाई करे।
2. दिल्ली विश्वविद्यालय तथा एसओएल 419 पदों को भरने के लिए यूजीसी से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करे ताकि इन पदों को भरा जा सके।
3. जब तक तदर्थ (Adhoc) प्दोन्नति की स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को 10 प्रतिशत की दर से ऑफिसिएटिंग वेतन का लाभ देने पर विचार किया जाना चाहिए।
4. एसओएल 01 माह के भीतर रोस्टरों की कमियां दूर कर संपर्क अधिकारी (अ.जा./अ. ज.जा.) से सत्यापित कराकर दिल्ली विश्वविद्यालय से अनुमोदित कराए ताकि वर्गवार रिक्तियां, शॉर्ट फॉल/बैकलॉग की स्थिति स्पष्ट हो सके और पदोन्नतियां/भर्तियां की जा सकें।
5. एसओएल, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं यूजीसी द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई से आयोग को 01 माह के भीतर अवगत कराया जाए।

9.6.18

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

संलग्नक 'क'

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

**File No. MKV/9/2017/MHRD2/DEOTH/RU-III**

विषयः कर्मचारियों की लंबित मांगों से संबंधित श्री महेंद्र कुमार वर्मा, संयोजक, मुक्त विद्यालय (एसओएल) कर्मचारी यूनियन, दिल्ली विश्वविद्यालय के अभ्यावेदन पर डॉ. नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत्त।

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष
2. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
3. श्री राघव चंद्रा, सचिव
4. श्री शिशिर कुमार राथ, संयुक्त सचिव
5. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक
6. श्री डी.सी. कटोच, परामर्शक

## दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी

1. श्री बी. राजा राजन, संयुक्त कुलसचिव
2. श्री आर.पी. सिंह, संयुक्त कुलसचिव
3. डॉ. प्रदीप अग्रवाल, सहायक कुलसचिव
4. श्री एच.सी. पोखरियाल, कार्यपालक निदेशक, (एसओएल)
5. श्री सी.पी. राघव, संयुक्त कुलसचिव (एसओएल)

## आवेदक

श्री महेंद्र कुमार वर्मा, संयोजक, मुक्त विद्यालय (एसओएल) कर्मचारी यूनियन, दिल्ली विश्वविद्यालय